XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध अनुमति वाद संख्या–20/2012

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत

श्री विक्टर खालखो, पिता–हस्तीन खालखो, साकिन–बाधमारा, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ............

आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार.............................

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी पत्नी के इलाज कराने हेतु मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता संख्या–129, खेसरा संख्या–7, रकवा–0.04.02 कड़ी जमीन बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि इनकी खरीद की गयी जमीन है, जिसका लगान रसीद भी अंचल कार्यालय, के0 नगर को दिया जाता है। पत्नी के इलाज हेतु शीध्र रूपये की आवश्यकता है, इसलिये जमीन बिक्री करना चाहते हैं।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, कृत्यानन्द नगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, के0 नगर ने अपने पत्रांक 130, दिनांक 04.02.2012 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किये है, जिसमें वर्णित है कि विक्टर खालखो, पिता–हस्तीन खालखो, साकिन–बाधमारा के नाम से मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता संख्या–129, खेसरा संख्या–7, रकवा–0.04.02 कड़ी जमीन पंजी–II जमाबन्दी नं0–801 पर दर्ज है। लगान वर्ष 2011–12 तक भुगतान है।

आवेदक द्वारा बिक्री की जानेवाली जमीन मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता संख्या–129, खेसरा संख्या–7, रकवा–0.04.02 कड़ी जमीन है।

बिक्री करने के पश्चात आवेदक के पास शेष भूमि नहीं बचता है। आवेदक अपनी पत्नी की इलाज एवं कर्ज के भुगतान करने हेतु अपनी जमीन बिक्री करना चाहते है।

वर्तमान समय में स्थलीय जाँच में पाया कि उक्त खाता, खेसरा, रकवा की जमीन आवेदक के शांतिपूर्ण दखल में है।

प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आते है। प्रश्नगत भूमि भूदान, भू–हदबन्दी एवं बिहार सरकार से मुक्त है।

प्रश्नगत भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा की है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी पत्नी के इलाज कराने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 30/3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

(हस्ताक्षर) 30/3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ